प्रेषक,

संख्याः 2184/VIII/11–सेवा0/2006

आर0के0 चौहान,
अनुसचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी ।

श्रम एवं सेवायोजन विभाग

देहरादून : दिनांकः 11 जनवरी, 2007

विषयः वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु सेवायोजन प्रखण्ड के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में टी.एस.पी. के अधीन संचालित योजनाओं हेतु अवचनबद्ध मदों में धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 19708/डीटीईयू/लेखा/सेवा/बजट मांग/2006, दिनांक 1.12..2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि वित्तीय वर्ष–2006–07 हेतु प्रशिक्षण एंव सेवायोजन विभाग के अन्तर्गत सेवायोजन प्रखण्ड में टी.एस.पी. के अधीन आयोजनेत्तर पक्ष में अवचनबद्व मदों की धनराशि संलग्न–विवरणानुसार रूपये 2,25,000/– (रूपये दो लाख पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि के व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ एवं शर्तो के अधीन आपके निवर्तन पर रखी जा रही है, कि उक्त मद में आबंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है, कि धनराशि का आंबटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। जहॉ व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहॉ ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

3– व्यय करते समय स्टोर परचेज रूल्स, डीजीएसएण्डडी, की दरों अथवा शर्तो, टेण्डर/कोटेशन आदि के विषयक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4– कम्प्यूटर आदि का कय एन0आई0सी0/आई0टी0 की संस्तुति अथवा उनके दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

Buject-S

5– उक्त धनराशि को 31/3/2007 तक पूर्ण व्यय करते हुये उपयोगिता तथा उपभोग प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

6– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु अनुदान संख्या–31 मुख्य लेखाशीर्षक 2230–श्रम तथा रोजगार के अर्न्तगत संलग्नक में उल्लिखित् लेखाशीर्षक की सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा । यह आंबटन निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के अधीन समस्त कार्यालयों के लिए किया जा रहा है ।

7– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्याः 07/वित्त अनु0–5/2006, दिनांकः 07–जनवरी, 2007 के अन्तर्गत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

संलग्न : यथोपरि।

भवदीय

/

(आर0के0 चौहान)
अनुसचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 2184(1)/VIII/11–सेवा0/2006, तद्‌दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– सम्बन्धित् जनपद के कोषाधिकारी ।
3– अपर सचिव, वित्त–बजट।
4– वित्त अनुभाग–5
5– नियोजन विभाग।
6– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
7– गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(आर0के0 चौहान)
अनुसचिव।

Bajeet-S

शासनादेश संख्या:2184/VIII/11-सेवा0/2006, दिनांक: 11 जनवरी, 2007 का संलग्नक:

आयोजनेत्तर

अनुदान संख्या: 31

धनराशि हजार रूपये में

मुख्य लेखाशीर्षक 2230-श्रम तथा रोजगार

02-रोजगार सेवायें

796-जनजातिय क्षेत्र उप योजना

02-कालसी देहरादून में जनजातिय के अभ्यर्थियो के लिए विशिष्ट रोजगार केन्द्र

क्र0सं0	कोड/मद	आंबटित धनराशि
1.	04-यात्रा व्यय	10
2.	08-कार्यालय व्यय	20
3.	11-लेखन सामग्री/फार्म छपाई	10
4.	12-कार्यालय फर्नीचर/उपकरण	20
5.	26-मशीनें साज-सज्जा/उपकरण व संयत्र	05
6.	27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	50
7.	45-अवकाश यात्रा व्यय	50
8.	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर कय	50
9.	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी	10
	योग :	**225**

(रूपये दो लाख पच्चीस हजार मात्र)

(आर0के0 चौहान)

अनुसचिव।

Buject-S